A.F.R.
Judgment Reserved on 24.03.2021
Judgment Delivered on 11.06.2021

Court No. - 3
Case :- CRIMINAL MISC. WRIT PETITION No. - 16386 of 2020
Petitioner :- Shiv Kumar Verma and Another
Respondent :- State Of U.P. and 3 Others
Counsel for Petitioner :- Ganesh Shanker Srivastava,Ashwini Kumar
Counsel for Respondent :- G.A.

Hon'ble Surya Prakash Kesarwani,J.
Hon'ble Shamim Ahmed,J.

(Per: Surya Prakash Kesarwani, J.)

1. Heard Sri Ashwini Kumar, learned counsel for the petitioners and Sri Manish Goyal, learned Additional Advocate General assisted by Sri S.K. Pal, learned Government Advocate and Sri Ali Murtuza, learned A.G.A. for the State-respondents.

2. This writ petition has been filed praying for the following reliefs:

> *"i) Issue a writ, order or direction in the nature of mandamus directing the respondents to give compensation to the petitioners in lieu of illegal detention from 12.10.2020 to 21.10.2020 in connection with Case Crime No.624 of 2020, State vs. Shiv Kumar Verma and another, under Section 151, 107 and 116 Cr.P.C., Police Station Rohania, District Varanasi."*

Facts

3. Briefly stated, facts of the present case are that there was some dispute relating to ancestral property between the petitioners and their family members. In paragraph 3 of the writ petition, it has been stated that some tiff arose between the petitioners and other family members, namely, Rajendra Prasad, Shiv Kumar Verma and Raj Kumar Verma regarding partition of an ancestral land and in apprehension of breach of public peace, the police arrested the petitioners under Section 151 Cr.P.C.

on 08.10.2020. A Challani Report dated 08.10.2020 was submitted by the Sub Inspector, Police Station Rohania, District Varanasi to the Sub Divisional Magistrate, District Varanasi under Section 151/107/116 Cr.P.C., which was in printed form and merely name of the petitioners and others, name of village and "land dispute" have been filled by ink in the aforesaid Challani Report. On receipt of the Challani Report, the Sub Divisional Magistrate registered the case as Case No.624 of 2020 (State vs. Shiv Kumar Maurya and others) and passed the following order on 08.10.2020:

"मु0स0 624 सन् 2020

सरकार बनाम शिवकुमार मौर्य आदि
धारा–515/107/116 द0प्र0सं0
थाना–रोहनिया
08.10.2020
आज थानाध्यक्ष रोहनिया जनपद वाराणसी द्वारा अन्तर्गत धारा 151/107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालानी रिपोर्ट सरकार बनाम शिवकुमार मौर्य आदि प्रस्तुत किया गया अभियुक्तगण के जमानत हेतु बन्ध पत्र व शपथ पत्र व मुचलका दाखिल नहीं किया गया।
अतः अभियुक्तगण के जमानत हेतु बन्ध पत्र व मुचलका के उपलब्धता तक **अभियुक्तगण को निरूद्व जेल किया जाता है**। पत्रावली दिनांक 21.10.2020 को पेश हो।

अ0ह0

सत्यप्रतिलिपि

08-10-2020"

4. It appears that on 12.10.2020 the petitioners submitted personal bond and other papers but the respondent no.3 has not released them and instead, under the pretext of verification, directed the file to be placed on 21.10.2020. The order dated 12.10.2020 passed by the respondent no.3 is reproduced below:

"12-10-2020

पत्रावली पेश। अभियुक्तगण द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र व बन्ध पत्र/ मुचलका दाखिल किया गया बन्ध पत्र में संलग्न जमानदारी को खतौनी का मुल्यांकन हेतु तहसीलदार राजस्व को प्रेषित व राज पत्रिक अधिकारी द्वारा जारी अभियुक्तगणे का चरित्र प्रमाण पत्र दो प्रति अतः पत्रावली दिनांक 21.10.2020 को पेश हो।

अ0ह0

सत्यप्रतिलिपि 12-10-2020"

5. Thereafter, on 21.10.2020 the petitioners were released. Aggrieved with the arbitrary and illegal action of the respondents and illegal detention, the petitioners have filed the present writ petition praying for the relief as afore-quoted.

Discussion and Findings

6. We have carefully considered the submissions of learned counsels for the parties.

Action taken by the State Government

7. In paragraph 8 of the counter affidavit dated 02.02.2021, the respondent no.1 has stated that the State Government has taken **corrective action** in the matter vide letters/circulars dated 30th January, 2021 and 31st January, 2021. The aforesaid letters/**circulars dated 30th January, 2021 and 31st January, 2021** are reproduced below:

"Letter/Circular dated 30th January, 2021

फैक्स/ई–मेल/ महत्वपूर्ण

संख्या– 159/6–पु0–11–21–05 रिट/2021

प्रेषक,

तरूण गाबा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

गृह(पुलिस)अनुभाग–11 लखनऊः दिनांक:30 जनवरी,2021

विषयः– क्रिमिनल (मिस0) रिट याचिका संख्या– 16386/2020, शिव कुमार वर्मा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.01.2021 के अनुपालन

में दिशा–निर्देश निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,
उपर्युक्त विषयक क्रिमिनल (मिस0) रिट याचिका संख्या– 16386/2020, शिव कुमार वर्मा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.01.2021 (प्रति संलग्न) का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।
2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश दिनांक 13.01.2021 के दृष्टिगत निम्नलिखित बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए समस्त **सम्बन्धित अधीनस्थ अधिकारियों को अपने स्तर से विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें:–**

(1) 107/116/116 (3) सीआरपीसी व 151 सीआरपीसी इत्यादि निरोधात्मक कार्यवाही का **चालानी रिपोर्ट प्रिन्टेड प्रोफार्मा पर प्रेषित न किया जाए।**

(2) प्रत्येक मामले में **विवाद से सम्बन्धित पूर्ण/सुस्पष्ट एवं तथ्यात्मक विवरण (सुविचारित कारणों सहित) अंकित किया जाए।**

(3) प्रत्येक चालानी रिपोर्ट के साथ प्रकरण से **सम्बन्धित आवश्यक प्रपत्र, जैसे प्रार्थना पत्र, एनसीआर की प्रति इत्यादि अवश्य संलग्न किये जाए।**

(4) प्रत्येक चालानी रिपोर्ट यदि किसी चौकी प्रभारी अथवा उप निरीक्षक द्वारा तैयार की जाती है तो उस पर सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा परीक्षण कर अपनी स्पष्ट एवं तथ्यात्मक टिप्पणी अंकित करने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

(तरूण गाबा)
सचिव।"

8. In compliance to the aforequoted Government Order dated 30.01.2021, the Director General of Police, Uttar Pradesh has issued a Circular being letter No. डीजी–आठ–94 (निर्देश) 2021, dated 31.01.2021 to all the Zonal Additional Director General of Police, Uttar Pradesh, and all the Police Commissioners, Uttar Pradesh and directed them to ensure strict compliance of the aforequoted Government order.

9. From the facts briefly noted above and the counter affidavit of respondent no.1, it stands admitted that the police authorities are arbitrarily and illegally submitting Challani Reports under Sections 107/116 Cr.P.C. Since the respondent no.1 has taken steps to correct the mistakes and illegalities, therefore, we do not propose to issue any further direction in that regard, except **that the afore-quoted Circulars**

dated 30th January, 2021 and 31st January, 2021 shall be strictly implemented in the whole of the State of Uttar Pradesh.

10. In the counter affidavit dated 01.02.2021, **the respondent no.3 has stated in paragraph 5 and 8** that "the petitioners submitted the applications through their counsel that they are ready to furnish personal bonds as well as bail bonds, therefore, they may be released on bail and **the answering respondent directed the concerned Tehsildar to verify the revenue records produced by the sureties and on verification the petitioners shall be released on 21.10.2020 on bail."**

11. In his counter affidavit, the respondent no.3 has tried to justify his arbitrary action and clear breach of statutory duty cast upon him as well as the fundamental rights guaranteed under Article 14 and 21 of the Constitution of India. In this regard, it would be appropriate to refer to the provisions of **Sections 107, 111 and 116 of the Code of the Criminal Procedure, 1973**, which are reproduced below:

> "107. **Security for keeping the peace in other cases.**
>
> *(1) When an Executive Magistrate receives information that any person is* ***likely to commit a breach of the peace or disturb the public tranquillity or to do any wrongful act*** *that may probably occasion a breach of the peace or disturb the public tranquillity and is of opinion that there is sufficient ground for proceeding, he may, in the manner hereinafter provided, require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond, with or without sureties, for keeping the peace for such period, not exceeding one year, as the Magistrate thinks fit.*
>
> *(2) Proceedings under this section may be taken before any Executive Magistrate when either the place where the breach of the peace or disturbance is apprehended is within his local jurisdiction or there is within such jurisdiction a person who is likely to commit a breach of the peace or disturb the public tranquillity or to do any wrongful act as aforesaid beyond such jurisdiction.*

"111. ***Order to be made.*** *When a* ***Magistrate*** *acting under section 107, section 108, section 109 or section 110, deems it necessary to require any person to show cause under such section,* ***he shall make an order in writing, setting forth the substance of the information received, the amount of the bond to be executed, the term for which it is to be in force, and the number, character and class of sureties*** *(if any) required."*

"116. Inquiry as to truth of information.

(1) When an order under section Ill has been read or explained under section 112 to a person present in Court, or when any person appears or is brought before a Magistrate in compliance with, or in execution of, a summons or warrant, issued under section 113, the Magistrate shall proceed to inquire into the truth of the information upon which action has been taken, and to take such further evidence as may appear necessary.

(2) Such inquiry shall be made, as nearly as may be practicable, in the manner hereinafter prescribed for conducting trial and recording evidence in summons- cases.

(3) After the commencement, and before the completion, of the inquiry under sub- section (1), ***the Magistrate,*** *if he considers that immediate measures are necessary for the prevention of a breach of the peace or disturbance of the public tranquillity or the commission of any offence or for the public safety,* ***may, for reasons to be recorded in writing, direct the person*** *in respect of whom the order under section 111 has been made* ***to execute a bond, with or without sureties,*** *for keeping the peace or maintaining good behaviour until the conclusion of the inquiry,* ***and may detain him in custody until such bond is executed or, in default of execution, until the inquiry is concluded: Provided that-***

(a) no person against whom proceedings are not being taken under section 108, section 109, or section 110 shall be directed to execute a bond for maintaining good behaviour;

(b) the conditions of such bond, whether as to the amount thereof or as to the provision of sureties or the number thereof or the pecuniary extent of their liability, shall not be more onerous than those specified in the order under section 111.

(4) For the purposes of this section the fact that a person is an habitual offender or is so desperate and dangerous as to render his being at large without security hazardous to the community may be proved by evidence of general repute or otherwise.

(5) Where two or more persons have been associated together in the matter under inquiry, they may be dealt with in the same or separate inquiries as the Magistrate shall think just.

(6) The inquiry under this section shall be completed within a period of six months from the date of its commencement, and if such inquiry is not so completed, the proceedings under this Chapter shall, on the expiry of the said period, stand terminated unless, for special reasons to be recorded in writing, the Magistrate otherwise directs: Provided that where any person has been kept in detention pending such inquiry, the proceeding against that person, unless terminated earlier, shall stand terminated on the expiry of a period of six months of such detention.
(7) Where any direction is made under sub- section (6) permitting the continuance of proceedings, the Sessions Judge may, on an application made to him by the aggrieved party, vacate such direction if he is satisfied that it was not based on any special reason or was perverse."

12. Section 107 Cr.P.C. requires the Magistrate receiving the information that any person is likely to commit a breach of peace or disturb the public tranquillity or to do any wrongful act that may probably occasion a breach of peace or disturb the public tranquility **and is of opinion that there is sufficient ground for proceeding,** he may, in the manner provided, **require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond, with or without sureties, for keeping the peace for such period, not exceeding one year, as the Magistrate thinks fit.** Perusal of the order dated 08.10.2020, passed by the respondent no.3 would reveal that there is no such satisfaction recorded by the respondent no.3. The aforesaid order dated 08.10.2020 would further reveal that the respondent no.3 has not required the petitioners to show cause that why they should not be ordered to execute a bond with or without sureties. Thus, the respondent no.3 has committed clear breach of mandate of Section 107 Cr.P.C.

13. Section 111 Cr.P.C. provides that **when a Magistrate acting under section 107, section 108, section 109 or section 110, deems it necessary to require any person to show cause under such section, he shall make an order in writing,** setting forth **(i)** the substance of the information received, **(ii)** the amount of the bond to be executed, **(iii)** the term for which it is to be in force, and **(iv)** the number, character and class of sureties (if any) required. These necessary ingredients of Section 111 Cr.P.C. are totally absent in the order dated

08.10.2020 passed by the respondent no.3. Thus, it is evident on record that the respondent no.3 has acted arbitrarily and illegally.

14. It would further be relevant to note that admittedly the petitioners have submitted personal bond on 12.10.2020 although the order passed by the respondent no.3 dated 08.10.2020 does not specify the substance of the information received, the amount of the bond to be executed, the term for which it is to be in force, and the number, character and class of sureties, if any, required. **Despite submission of personal bond and other papers on 12.10.2020 by the petitioners before the respondent no.3, they were not released by the respondent no.3 and that too against his own order dated 08.10.2020 that the petitioners shall be detained till presentation of personal bond/bail bond. Non release of the petitioners by the respondent no.3 even after submission of personal bond/bail bond and other papers, is a clear breach of Article 21 of the Constitution of India, by the respondent no.3** which resulted in illegal detention of the petitioners at least since 12.10.2020 to 21.10.2020.

15. On 02.02.2021 this Court noted the statement made by the State Government in Paragraph 15 of the order dated 02.02.2021 as under:

> *"15. Learned Additional Advocate General and the Secretary, Home, U.P. Lucknow jointly state that the* ***State Government shall develop a mechanism and shall also issue appropriate guidelines so as to ensure that such instances may not repeat again.*** *They further state that the* ***State Government shall consider to grant monetary compensation to the petitioners*** *for breach of their fundamental rights under Article 21 of the Constitution of India."*

16. In pursuance to the statement made on own behalf of the State government as noted in the aforequoted paragraph 15 of the order dated 02.02.2021, the **State Government filed an affidavit of**

compliance dated 24.03.2021 of Sri Tarun Gauba, Secretary, Home Affairs, Uttar Pradesh, in which in paragraph 10 it has been stated as under :

> *"That it is most respectfully submitted that the **State Government has issued directions to all District Magistrates and all Executive and Special Magistrates** who are sub ordinate to the District Magistrates, to exercise their power under Section 107, 116 Cr.P.C. for maintenance of public peace and public tranquility in their territorial jurisdiction. They have been further advised that each and every case under the aforesaid proceedings shall be decided on its own merit with the application of judicial mind and in accordance with the established law & procedure to ensure that the fundamental rights of citizens are protected. The State Government has directed all the District Magistrates of the State to ensure strict compliance of the policy/guideline dated 23rd March, 2021. **The State Government has reformulated the earlier policy dated 02.03.2021 and after including the aforementioned issues it has re-issued policy/guideline dated 23rd March, 2021.** For kind perusal of this Hon'ble Court copy of policy/guideline dated 23rd March, 2021 is being filed herewith and marked as **Annexure-1** to this affidavit."*

17. The **policy of the State Government dated 23.03.2021** appended as Annexure 1 to the aforesaid affidavit of compliance dated 24.03.2021, is reproduced below :-

महत्वपूर्ण / दिशा–निर्देश
संख्या–580पी / 6–पु0–3–2021

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक : 23 मार्च, 2021**

विषय :– क्रिमिनल मिस रिट पिटीशन संख्या–16386 / 2020, शिव कुमार वर्मा एवं अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2021 के अनुपालन के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–392पी / 6–पु0–3–2021, दिनांक 02 मार्च, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित क्रिमिनल मिस रिट पिटीशन संख्या–16386 / 2020, शिव कुमार वर्मा एवं अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2021 के अनुपालन में परिशान्ति कायम रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अधीन धारा 107 / 116 / 151 के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट को प्राप्त शक्तियों के

क्रियान्वन के विषय में अपेक्षित दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे।

2. क्रिमिनल मिस रिट पिटीशन संख्या–16386/2020, शिव कुमार वर्मा एवं अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2021 में कतिपय बिन्दुओं को उक्त दिशा–निर्देश में समावेशित किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

3– मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 03.03.2021 के अनुपालन में शासन के पत्र संख्या–393पी/6–पु0–3–2021, दिनांक 02 मार्च, 2021 को अवक्रमित करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त परिशान्ति कायम रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन धारा 107/116/151 के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट को प्राप्त शक्तियों के क्रियान्वन के विषय में संलग्नानुसार अपेक्षित दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते हैं।

4– कृपया उक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

ह0 अपठनीय

(अवनीश कुमार अवस्थी)

अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 लखनऊ।
(2) अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उ0 प्र0।
(3) पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उ0 प्र0
(4) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, समस्त जनपद,उ0 प्र0।

आज्ञा से,

ह0 अपठनीय

(अवनीश कुमार अवस्थी)

अपर मुख्य सचिव।

परिशान्ति कायम रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन धारा 107/116/151 के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट को प्राप्त शक्तियों के क्रियान्वन के विषय मे दिशा–निर्देशः–

अपने अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत परिशान्ति कायम रखने के लिए ऐसे व्यक्तियों, जिनसे परिशान्ति भंग होने अथवा लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध होने की सम्भावना है, के खिलाफ निरोधक कार्यवाहियां किये जाने हेतु दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत कार्यकारी मजिस्ट्रेट को यथानिर्दिष्ट अधिकार दिये गये है तथा इसकी पूरी प्रक्रिया का विधिवत् उल्लेख भी किया गया है, तथापि यदाकदा ऐसे दृष्टान्त सामने आते है जिनसे यह आभासित होता है कि सम्बन्धित कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये आदेश पारित किया है अथवा निर्धारित प्रक्रिया का समुचित अनुपालन नही किया है। ऐसे ही एक प्रकरण (क्रिमिनल रिट पिटीशन संख्या– 16386/2020, शिवकुमार वर्मा एवं अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य एवं अन्य, आदेश दिनांक 02.02.2021) में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने सम्बन्धित कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत आदेशों को सम्यक् न मानते हुए एक उचित कार्यप्रणाली (Mechanism) विकसित किये जाने तथा यथोचित दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने का आदेश दिया है।

शांति व्यवस्था व लोक प्रशांति बनाये रखने के उद्देश्य से निरोधक कार्यवाहियों के विषय मे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अधिकारिता एवं प्रक्रिया का विधिवत् उल्लेख किया गया है। आवश्यकता इस बात की है कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा

अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए एवं निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए प्रत्येक स्तर पर मुखरित (speaking) आदेश पारित किए जायें। निरोधक कार्यवाहियों के विषय में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में उल्लेखित सुसंगत प्रावधान एवं उनके विषय में अपेक्षित मार्ग–निर्देश निम्नवत् जारी किए जा रहे है :–

1–धारा–107–(परिशान्ति कायम रखने के लिए प्रतिभूति) के विषय में–
इस विषय में दण्ड प्रक्रिया संहिता मे मुख्य प्रावधान निम्नवत् हैं–

जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है कि सम्भाव्य है कि उसके अधिकारिता क्षेत्र में कोई व्यक्ति परिशान्ति भंग करेगा या लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा जिससे सम्भाव्यतः परिशान्ति भंग हो जाएगी या लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध हो जाएगी तब यदि उसकी राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह, ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए, जितनी मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे, परिशान्ति कायम रखने के लिए उसे प्रतिभुओं सहित या रहित बन्ध पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए।

धारा – 151– संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफतारी के विषय में प्रावधान निम्नवत् है –

(1) कोई पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता है, ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना और वारण्ट के बिना उस दशा में गिरफतार कर सकता है, जिसमें ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है कि उस अपराध का किया जाना अन्यथा नहीं रोका जा सकता।

(2) उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को उसकी गिरफतारी के समय से चौबीस घण्टे की अवधि से अधिक के लिए अभिरक्षा में उस दशा के सिवाय निरुद्ध नही रखा जाएगा जिसमें उसका और आगे निरुद्ध रखा जाना इस संहित के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किन्ही अन्य उपबन्धो के अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत है।

उपरोक्त दोनो धाराओं के अन्तर्गत स्थानीय पुलिस अथवा अन्य प्राधिकारी द्वारा कार्यकारी मजिस्ट्रेट को इत्तिला दिये जाने (चालानी रिपोर्ट) के विषय मे निम्नवत् दिशा–निर्देश दिये जाते है –

➢ 107/151 सीआरपीसी की चालानी रिपोर्ट प्रिन्टेड प्रोफार्मा पर रिक्ति को भरते हुए (filling the blanks) प्रेषित न किया जाए अपितु प्रत्येक प्रकरण की मेरिट को दर्शित करते हुए मुखरित आख्या भेजी जाए।

➢ प्रत्येक मामले मे विवाद से समबन्धित पूर्ण, सुस्पष्ट एवं तथ्यात्मक विवरण (सुविचारित कारणों सहित) अंकित की जाए। यह भी स्पष्ट किया जाए कि आरोपी व्यक्ति या व्यक्तियों से शांति भंग की संभावना किस आधार पर है।

➢ प्रत्येक चालानी रिपोर्ट के साथ प्रकरण से सम्बन्धित आवश्यक प्रपत्र, जैसे प्रार्थना पत्र, एनसीआर की प्रति इत्यादि अवश्य संलग्न किये जाए।

➢ प्रत्येक चालानी रिपोर्ट यदि किसी चौकी प्रभारी अथवा उप निरीक्षक द्वारा तैयार की जाती है तो उस पर सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा परीक्षण कर अपनी स्पष्ट एवं तथ्यात्मक टिप्पणी अंकित करने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

➢ यदि 107/116 की चालानी रिपोर्ट के साथ आरोपी व्यक्ति को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–151 के तहत गिरफतार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत भी किया जा रहा है तो ऐसी

स्थिति में चालानी रिपोर्ट मे विशिष्ट रुप से यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि किस संज्ञेय अपराध को कारित करने हेतु आरोपी व्यक्ति प्रवृत्त था, जिसे अन्यथा नही रोका जा सकता था और रोकने के लिए उसे गिरफतार किया जाना आवश्यक था।

<u>2– धारा–111–(प्रारंभिक आदेश/नोटिस) के विषय में –</u>
<u>इस विषय मे दण्ड प्रक्रिया संहिता में मुख्य प्रावधान निम्नवत् है –</u>

जब कोई मजिस्ट्रेट, धारा 107, धारा 108, धारा 109, या धारा 110 के अधीन कार्य कर रहा है, यह आवश्यक समझता है कि किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाए कि वह उस धारा के अधीन कारण दर्शित करे तब वह मजिस्ट्रेट प्राप्त इत्तिला का सार, उस बन्धपत्र की रकम, जो निष्पादित किया जाना है, वह अवधि जिसके वह प्रवर्तन में रहेगा और प्रतिभुओं की (यदि कोई हो) अपेक्षित संख्या, प्रकार और वर्ग बताते हुए लिखित आदेश देगा।

<u>इस सम्बन्ध में निम्नवत् दिशा–निर्देश निर्गत किए जाते है –</u>

➢ कार्यकारी मजिस्ट्रेट को भली भांति यह संज्ञानित होना आवश्यक है कि उस धारा के अन्तर्गत निर्गत आदेश एक प्रारम्भिक आदेश है जिसके द्वारा आरोपी व्यक्ति को कारण दर्शित करने के लिए संसूचित किया जाता है कि उसके द्वारा शांतिभंग करने अथवा लोक प्रशांति विक्षुब्ध करने की संभावना को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से एक निश्चित अवधि हेतु क्यों न बन्धपत्र (प्रतिभू सहित/ प्रतिभू रहित) प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिये जाए।

➢ इस धारा के अधीन आरोपी को अन्तरिम अथवा अंतिम रुप से बन्धित नही किया जा सकता। इस प्रारंभिक आदेश के बाद आवश्यक जांच/साक्ष्य संकलन के पश्चात् ही मेरिट पर आदेश निर्गत किया जाना उचित है। विशिष्ट/आपातिक परिस्थिति में यदि जांच/साक्ष्य संकलन की अवधि में भी आरोपी व्यक्ति द्वारा शांति भंग किए जाने की संभावना हो और मजिस्ट्रेट को इस आशय का समाधान हो तो जांच की अवधि तक लिए अंतरिम रुप से धारा–116(3) के तहत बन्धपत्र/प्रतिभू प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिया जा सकता है। परन्तु किसी भी दशा में धारा–111 के प्रारंभिक आदेश में ही बन्धपत्र/जमानत के विषय में अंतरिम या अंतिम आदेश नही दिया जाना चाहिए, इसी प्रकार धारा–116(3) के अन्तर्गत अंतरिम पाबन्दी आदेश, धारा–111 के अन्तर्गत प्रारंभिक आदेश जारी किए बिना नही किया जाना चाहिए।

➢ इसे छपे–छपाये प्रोफार्मा पर निर्गत नही किया जाना चाहिए अपितु एक लिखित/टंकितशुदा व मुखरित आदेश निर्गत किया जाना चाहिए।

➢ प्रारंभिक आदेश में इत्तिला का स्रोत एवं इत्तिला के सार का उल्लेख अवश्य किया जाए। सार शब्द से आशय है कि इत्तिला के महत्वपूर्ण अंशो का निचोड़ उल्लेखित होना चाहिए, तात्पर्य यह है कि नोटिस मे इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि किन आधारों पर किसी व्यक्ति को पाबन्द करने का प्रस्ताव है, जिससे वह इनका उत्तर दे सके।

➢ कार्यकारी मजिस्ट्रेट से अपेक्षित है कि वो प्रारंभिक आदेश में, उन्हें दी गयी इत्तिला में अंकित तथ्य एवं विवरण के प्रति अपना समाधान अवश्य अंकित करें।

➢ प्रारंभिक आदेश में बन्धपत्र की धनराशि एवं अवधि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए (यह अवधि धारा–107/108/109 के प्रकरण में एक वर्ष से अधिक नही होगी तथा धारा–110 के प्रकरण में तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

➢ यदि मजिस्ट्रेट को यह समाधान होता है कि बन्धपत्र के साथ प्रतिभू लिया जाना भी आवश्यक है तो धारा–111 के अन्तर्गत निर्गत प्रारंभिक आदेश में ही प्रतिभू की संख्या, प्रकृति तथा वर्ग (Number, character and class of sureties) का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

<u>3. धारा 112,113,114,115 से सम्बन्धित प्रावधान एवं दिशा–निर्देश–</u>

इन धाराओ में उल्लिखित प्रावधान स्वतः स्पष्ट है, तथापि इस विषय में कतिपय तथ्य स्पष्ट

किया जाना आवश्यक है, यथा कि –

- यदि यह व्यक्ति जिसके बारे मे प्रारंभिक आदेश दिया गया है, न्यायालय में उपस्थित है तो उसे पढ़कर सुनाया जाएगा और यदि वह ऐसा चाहे तो उसका सार भी उसे समझाया जाएगा।
- यदि ऐसा व्यक्ति न्यायालय मे उपस्थित नही है तो मजिस्ट्रेट उससे हाजिर होने की अपेक्षा करते हुए समन जारी करेगा।
- यदि ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा में है तब वह जिस अधिकारी की अभिरक्षा में है उस अधिकारी को, उसे न्यायालय के समक्ष लाने का निर्देश देते हुए वारन्ट जारी करेगा।
- यदि प्राप्त इत्तिला से मजिस्ट्रेट को इस बात का समाधान है, कि आरोपी व्यक्ति द्वारा परिशांति भंग होने के पर्याप्त कारण है और आरोपी व्यक्ति की तुरन्त गिरफतारी के बिना ऐसे परिशांति भंग करने का निवारण नही किया जा सकता है, तब मजिस्ट्रेट उसकी गिरफतारी के लिए किसी समय वारण्ट जारी कर सकता है।
- ऐसे प्रत्येक समन/वारण्ट के साथ धारा–111 के अधीन दिये गये प्रारंभिक आदेश की प्रति संलग्न किया जाना तथा आरोपी पर तामीला कराया जाना आवश्यक होगा।
- पर्याप्त आधार व समाधान होने पर मजिस्ट्रेट आरोपी व्यक्ति को वैयक्तिक हाजिरी से मुक्ति दे सकता है और जरिए अधिवक्ता/प्लीडर हाजिर होने हेतु आदेश दे सकता है।

<u>**4–धारा–116–कार्यकारी मजिस्ट्रेट को प्राप्त इत्तिला की सच्चाई के बारें जांच –**</u>

<u>**इस विषय में दण्ड प्रकिया संहिता में मुख्य प्रावधान निम्नवत् हैं –**</u>

(1) जब धारा 111 के अधीन आदेश किसी व्यक्ति को, जो न्यायालय मे उपस्थित है, धारा 112 के अधीन पढकर सुना या समझा दिया गया है अथवा जब कोई व्यक्ति धारा 113 के अधीन जारी किए गए समन या वारण्ट के अनुपालन या निष्पादन मे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर है या लाया गया है तब मजिस्ट्रेट उस इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच करने के लिए अग्रसर होगा जिसके आधार पर वह कार्यवाही की गई है और ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

(2) ऐसी जांच यथासाध्य, उस रीति से की जाएगी जो समन–मामलों के विचारण और साक्ष्य के अभिलेखन के लिए इसमें इसके पश्चात् विहित है।

(3) उपधारा (1) के अधीन जांच प्रारम्भ होने के पश्चात् और उसकी समाप्ति से पूर्व यदि मजिस्ट्रेट समझता है कि परिशान्ति भंग का या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए, या लोक सुरक्षा के लिए तुरन्त उपाय करने आवश्यक हैं, तो वह ऐसे कारणों से, जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा, उस व्यक्ति को, जिसके बारे में धारा 111 के अधीन आदेश दिया गया है, निर्देश दे सकता है कि वह जांच समाप्त होने तक परिशांति कायम रखने और सदाचार बने रहने के लिए प्रतिभुओं सहित या हित बन्ध पत्र निष्पादित कर और जब तक ऐसा बन्धपत्र निष्पादित नहीं कर दिया जाता है, या निष्पादन में व्यतिकम होने की दशा मे जब तक जांच समाप्त नही हो जाती है, उसे अभिरक्षा में निरुद्ध रख सकता है,

परन्तु –

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध धारा 108, धारा 109 या धारा 110 के अधीन कार्यवाही नहीं की जा रही है, सदाचारी बने रहने के लिए बन्धपत्र निष्पादित करने के लिए निर्देश नही दिया जाएगा,

(ख) ऐसे बन्धपत्र की शर्तें, चाहे वे उसकी रकम के बारे में हो, या प्रतिभु उपलब्ध कराने के या उनकी संख्या के, या उनके दायित्व की धन सम्बन्धी सीमा के बारे में हो, उनसे अधिक दुर्भर न होंगी जो धारा 111 के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट हैं।

<u>इस विषय में निम्नवत् दिशा–निर्देश दिये जाते है –</u>

➢ बिना धारा–111 के तहत प्रांरभिक आदेश निर्गत किए, धारा–116 के तहत जांच तथा धारा–116(3) के तहत पाबन्दी का आदेश नहीं किया जाना चाहिए।

➢ धारा–116 के अधीन की जाने वाली जांच एक पूर्ण न्यायिक जांच है। इस जांच में न्यायिक कार्यवाही की समस्त औपचारिकताओं का अनुपालन किया जाना चाहिए। यथासंभव आरोपित पक्ष के सामने ही साक्ष्य अभिलिखित किया जाना चाहिए तथा गवाहों को विपक्षी से जिरह करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

➢ धारा–116(3) मजिस्ट्रेट को इस बात के लिए समर्थ करती है कि वह विपक्षी को जांच पूर्ण होने तक अंतरिम बन्धपत्र (प्रतिभू सहित या प्रतिभू रहित) प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सके, पर यह तभी किया जाना चाहिए जब शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु तुरन्त उपाय आवश्यक हो, कार्यवाही करने के कारण अभिलिखित किए गए हों, अंतरिम बन्धपत्र मांगने के पूर्व जांच कर ली गयी हो तथा धारा – 111 में यथोचित प्रारंभिक आदेश पारित कर दिया गया हो।

➢ ''तुरन्त उपाय'' से आशयित है कि जब परिशांति भंग होने का, या लोक प्रशांति के विक्षुब्ध होने का या अपराध किए जाने का निवारण करने के लिए या लोक सुरक्षा के लिए तुरन्त उपाय आवश्यक है। यह तब तक लागू होगा जब आरोपी व्यक्ति अभिरक्षा में नही है और बिना बन्धपत्र के स्वतन्त्र रहने पर लोक सुरक्षा इत्यादि के लिए खतरा रहता है।

➢ मजिस्ट्रेट से अपेक्षा है कि धारा–116(3) के तहत आदेश करने से पूर्व धारा–107 की कार्यवाही के लिए दी गयी सूचना की सत्यता के बारे में जांच करे। साथ ही मजिस्ट्रेट को कार्यवाही का न्यायोचित कारण अभिलिखित करना भी अपेक्षित है।

➢ धारा–116(3) के तहत मजिस्ट्रेट को अंतरिम बन्धपत्र दाखिल करने का आदेश अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग कर अपने समाधान को अंकित करते हुए करना चाहिए।

➢ धारा–111 व धारा–116(3) दो पृथक उद्देश्यों के लिए विहित की गई है। अतः मजिस्ट्रेट को धारा–111 व धारा–116(3) के अधीन संयुक्त आदेश नहीं करना चाहिए।

➢ इस धारा के अधीन जॉच, उसके आरंभ होने की तारीख से छः मास की अवधि के अंदर पूरी की जाएगी, लेकिन यदि मजिस्ट्रेट इसके लिए विशेष कारण पाता है तो अपना समाधान अंकित करते हुए इस अवधि में वृद्धि कर सकता है। यदि ऐसा विशिष्ट आदेश नहीं किया गया है तो छः माह की अवधि के बाद धारा–107 की कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जायेगी। एक बार ऐसी जॉच समाप्त होने पर मजिस्ट्रेट को इस कार्यवाही को स्वतः पुनःजीवित (Revive) नहीं करना चाहिए।

➢ यदि आरोपी व्यक्ति जॉच लम्बित रहने के दौरान निरूद्ध रखा गया है तो उसके विरूद्ध किसी भी स्थिति में जॉच की अवधि परिसीमा में वृद्धि करने के लिए मजिस्ट्रेट सशक्त नहीं है। ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही 6 माह की अवधि की समाप्ति पर पर्यवसित हो जायेगी।

➢ बन्धपत्र की धनराशि एवं प्रतिभू का वर्ग, प्रकार व संख्या उससे अधिक नहीं हो सकती जितनी धारा–111 के प्रारंभिक आदेश में लिखित है।

<u>5–धारा–117–(गुण–दोष पर बन्धपत्र/प्रतिभूति देने का आदेश) के विषय में प्रावधान एवं दिशा–निर्देश</u> –

यदि गुण–दोष पर सुनवाई/ जॉच से यह साबित हो जाता है कि यथास्थिति परिशांति बनाए रखने के लिए या सदाचार बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति जिसके बारे में जॉच की गई है, प्रतिभूओं सहित या रहित बन्धपत्र निष्पादित करे तो मजिस्ट्रेट निम्न सावधनियॉ बरतते हुए आदेश जारी करेगा–

➢ किसी व्यक्ति को उस प्रकार से भिन्न प्रकार की या उस धनराशि से अधिक धनराशि की या उस अवधि से दीर्घ अवधि के लिए आदेश नहीं किया जाएगा जो धारा–111 के अधीन दिये गये प्रारंभिक आदेश में उल्लिखित है। उदाहरणर्थ यदि धारा–111 की नोटिस में प्रतिभूति नहीं मांगी गयी है तो अंतरिम आदेश में भी बन्धपत्र प्रतिभूति सहित निष्पादित करने का आदेश

नहीं दिया जा सकता है।

- प्रत्येक बन्धपत्र की धनराशि मामले के गुणावगुण व परिस्थितियों का सम्यक ध्यान रखते हुए नियत की जानी चाहिए। इसी प्रकार प्रतिभूति विपक्षी के साधन तथा उसके जीवन स्तर को दृष्टिगत रखते हुए दाखिल करने का आदेश दिया जाना चाहिए।
- यदि आरोपी अवयस्क हो तो बन्धपत्र उसके प्रतिभूओं द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

<u>6–धारा–118 (आरोपी व्यक्ति के उन्मोचन के विषय में) प्रावधान एवं दिशा–निर्देश–</u>

यदि धारा–116 के अधीन जॉच पर यह साबित नहीं होता है, कि यथास्थिति परिशांति कायम रखने अथवा सदाचार बनाए रखने के लिए आरोपी व्यक्ति बन्धपत्र निष्पादित करे तो मजिस्टेट अभिलेख में इस आशय की प्रविष्टि करते हुए, यदि आरोपी व्यक्ति केवल उस जॉच के प्रयोजनों के ही लिए अभिरक्षा में है तो उसे छोड़ देगा और यदि अभिरक्षा में नहीं है तो उसे उन्मोचित कर देगा।

<u>इस विषय में निम्नवत् मार्गनिर्देश दिये जाते हैं–</u>

- इस धारा के अधीन प्रदत्त शक्तियाँ न्यायिक हैं और उनका प्रयोग न्यायिक रूप से ही होना चाहिए अर्थात 118 के अधीन आदेश पारित करने के लिए धारा–111, 112 व 116 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना तथा गुणावगुण पर पारित अंतिम आदेश में सकारण अभिकथन लिखा जाना आवश्यक है।
- मजिस्ट्रेट को पश्चात्वर्ती घटनाओं को संज्ञान में लेने की शक्ति प्राप्त है। यदि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से दर्शित होता है कि यद्यपि एक समय शांति भंग होने की सम्भावना थी तथापि् पश्चात्वर्ती घटनाओं से शांतिभंग का खतरा समाप्त हो गया है, तो न्यायालय कार्यवाही समाप्त कर सकता है और उन व्यक्तियों को उन्मोचित कर सकता है जिनके विरूद्ध कार्यवाही की गई है।

7– **<u>धारा–120–बन्धपत्र की अन्तर्वस्तुएं एवं समपहरण (forfeiture) के विषय में प्रावधान एवं दिशा–निर्देश–</u>**

आरोपी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाने वाला बन्धपत्र उसे, यथास्थिति, परिशांति, कायम रखने या सदाचारी रहने के लिए आबद्ध करेगा और बाद की दशा में कारावास से दण्डनीय को अपराध करना या करने का प्रयत्न या दुष्प्रेरण करना, (चाहे वह कहीं भी किया जाए) बन्धपत्र का भंग है।

उक्त स्थिति में मजिस्ट्रेट को बन्धपत्र समपहृत (forfeit) करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे में मजिस्ट्रेट से निम्न सावधानियाँ अपेक्षित हैं–

- परिशांति कायम रखने के लिए बन्धपत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध समपहरण की कार्यवाही केवल ऐसे अपराधों को कारित करने से हो सकती है जिसके जिसके परिणाम स्वरूप परिशांति भंग की सम्भावना है।
- सदाचारी बना रहने के लिए निष्पादित बन्धपत्र को निष्पादी द्वारा किसी भी अपराध को करने पर समपहृत किया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराध ऐसा हो जो परिशांति भंग करने के सम्भाव्य की कोटि में आता हो।
- बन्धपत्र के भंग पर समपहरण की कार्यवाही धारा–446 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।
- यदि किसी व्यक्ति का परिशांति कायम रखने के लिए निष्पादित बन्धपत्र, परिशांति को भंग करने वाले अपराध में दोषसिद्ध होने पर समपहृत होता है तो उसे बन्धपत्र की शेष अनवसित अवधि के लिए कारागार में नही भेजा जा सकता, उससे केवल समपहृत बन्धपत्र की रकम वसूल की जा सकती है।

- बन्धपत्र को समपहृत करने तथा रकम वसूली के आदेश से पूर्व बन्धपत्र के निष्पादी को कारण बताओ नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
- समपहरण की कार्यवाही प्रधान तथा उसके प्रतिभू दोनों पर लागू होगी।

8–धारा–121–प्रतिभुओं को अस्वीकार करने की शक्ति–
इस विषय में दण्ड प्रक्रिया संहिता में मुख्य प्रावधान निम्नवत् हैं–

(1) मजिस्ट्रेट किसी पेश किए गए प्रतिभू को स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है या अपने द्वारा, या अपने पूर्ववर्ती द्वारा, इस अध्याय के अधीन पहले स्वीकार किए गए किसी प्रतिभू को इस आधार पर अस्वीकार कर सकता है कि ऐसा प्रतिभू बन्धपत्र के प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त है:–

परन्तु किसी ऐसे प्रतिभू को इस प्रकार स्वीकार करने से इन्कार करने या उसे अस्वीकार करने के पहले वह प्रतिभू की उपयुक्तता के बारे में या तो स्वयं शपथ पर जॉच करेगा या अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट से ऐसी जॉच और उसके बारे में रिपोर्ट करवाएगा।

(2) ऐसा मजिस्ट्रेट जॉच करने के पहले प्रतिभू को और ऐसे व्यक्ति को, जिसने वह प्रतिभू पेश किया है, उचित सूचना देगा और जॉच करने में अपने सामने दिए गए साक्ष्य के सार को अभिलिखित करेगा।

(3) यदि मजिस्ट्रेट को अपने समक्ष या उपधारा (1) के अधीन प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे दिए गए साक्ष्य पर और ऐसे मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर (यदि कोई हो), विचार करने के पश्चात् समाधान हो जाता है कि वह प्रतिभू बन्धपत्र के प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति है तो वह उस प्रतिभू को, यथास्थिति, स्वीकार करने से इन्कार या उसे अस्वीकार करने का आदेश करेगा और ऐसा करने के लिए अपने कारण अभिलिखित करेगा:–

परन्तु किसी प्रतिभू को, जो पहले स्वीकार किया जा चुका है, अस्वीकार करने का आदेश देने के पहले मजिस्ट्रेट अपना समन या वारण्ट, जिसे वह ठीक समझे, जारी करेगा और उस व्यक्ति को, जिसके लिए प्रतिभू आबद्ध है, अपने समक्ष हाजिर कराएगा या बुलवाएगा।

इस विषय में निम्नवत् दिशा–निर्देश दिए जाते हैं–

- मजिस्ट्रेट धारा–121 के तहत प्रस्तुत प्रतिभूतियों को नामंजूर कर सकता है, किन्तु उसे ऐसा तभी करना चाहिए, जबकि उसने आवश्यक जॉच कर ली हो और नामंजूर करने के अपने कारणों और साक्ष्य को अभिलिखित कर लिया हो।
- किसी प्रतिभू को केवल पुलिस रिपोर्ट के आधार पर तथा बिना जॉच किए नामंजूर करना न्यायोचित नहीं है।
- प्रतिभू की उपयुक्तता का प्रश्न मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक जॉच के बाद तय किया जाना चाहिए केवल यह तथ्य कि प्रतिभू अभियुक्त पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं रख पायेगा, स्वयं में किसी भूतिभू को अस्वीकृत करने का कारण नहीं होना चाहिए।
- बन्धपत्र के प्रयोजन के लिए किसी प्रतिभू की अनुपयुक्तता केवल वित्तीय अनुपयुक्तता तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए।

9–धारा–122–प्रतिभूति देने में व्यक्तिक्रम होने पर कारावास–
इस विषय में दण्ड प्रक्रिया संहिता में मुख्य प्रावधान निम्नवत् हैं–

(1) (क) यदि कोई व्यक्ति, जिसे धारा 106 या 117 के अधीन प्रतिभू देने के लिए आदेश दिया गया है, ऐसी प्रतिभूति उस तारीख को या उस तारीख के पूर्व, जिसको वह अवधि, जिसके लिए ऐसी प्रतिभूति दी जानी है, प्रारम्भ होती है, नहीं देता है, तो वह इसमें इसके पश्चात् ठीक आगे वर्णित दशा के सिवाय कारागार में भेज दिया जाएगा अथवा यदि वह पहले से ही कारागार में है तो वह कारागार में तक तक निरूद्ध रखा जायेगा जब तक ऐसी अवधि समाप्त न हो जाए या जब तक ऐसी अवधि के भीतर वह उस

न्यायालय या मजिस्ट्रेट को प्रतिभूति दे दे जिसने उसकी अपेक्षा करने वाला आदेश दिया था।

(ख) यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 117 के अधीन मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसरण में परिशान्ति बनाए रखने के लिए प्रतिभूओं सहित या रहित बन्धपत्र निष्पादित कर दिए जाने के पश्चात्, उसके बारे में ऐसे मजिस्ट्रेट या उसके पद–उत्तरवर्ती को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि उसने बन्धपत्र का भंग किया है तो ऐसा मजिस्ट्रेट या पद–उत्तरवर्ती, ऐसे सबूत के आधारों को लेखबद्ध करने के पश्चात् आदेश कर सकता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और बन्धपत्र की अवधि की समाप्ति तक कारागार में निरूद्ध रखा जाए तथा ऐसा आदेश ऐसे किसी अन्य दण्ड या समपहरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा जिससे कि उक्त विधि के अनुसार दायित्वाधीन हो।

(2) जब ऐसे व्यक्ति को एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रतिभू देने का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया है, तब यदि ऐसा व्यक्ति यथापूर्वोक्त प्रतिभूति नहीं देता तो वह मजिस्ट्रेट यह निर्देश देते हुए वारण्ट जारी करेगा कि सेशन न्यायालय का आदेश होने तक, वह व्यक्ति कारागार में निरूद्ध रखा जाए और वह कार्यवाही सुविधानुसार शीघ्र ऐसे न्यायालय के समक्ष रखी जाऐगी।

(3) ऐसा न्यायालय ऐसी कार्यवाही की परीक्षा करने के और उस मजिस्ट्रेट से किसी और इत्तिला या साक्ष्य की, जिसे वह आवश्यक समझे, अपेक्षा करने के पश्चात् और सम्बद्ध व्यक्ति को सुने जाने का उचित अवसर देने के पश्चात् मामले में ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह ठीक समझे।

परन्तु वह अवधि (यदि कोई हो) जिसके लिए कोई व्यक्ति प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावासित किया जाता है, तीन वर्ष से अधिक की न होगी।

<u>यद्यपि उक्त प्रावधान एवं इसमें उल्लेखित प्रक्रिया सुस्पष्ट है तथापि वर्तमान परिदृश्य में इसे सरलीकृत करते हुए निम्नवत् दिशा निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं</u> :–

- जब मजिस्ट्रेट आरोपित व्यक्ति को प्रतिभूति दाखिल करने का आदेश देता है तो इसमें निम्न तीन तथ्यों का समावेशन अनिवार्यतः किया जाना चाहिए–
  - (क) प्रतिभूति की अवधि।
  - (ख) अवधि के प्रारम्भ होने की तारीख।
  - (ग) तारीख, जब तक प्रतिभूति दी जानी है।

यदि ऐसे आदेश में अवधि प्रारम्भ होने की तारीख विनिर्दिष्ट नहीं की गयी है तो ऐसी त्रुटि को एक नया आदेश पारित करके सुधारा जा सकता है।

- धारा–122 केवल उसी स्थिति में लागू होती है जब अंतिम नियत तारीख तक प्रतिभूति दाखिल नहीं की गयी है। यदि प्रतिभूति दाखिल कर दी गयी है तो यह धारा लागू नहीं होगी।
- यदि कोई व्यक्ति, जिसके विरूद्ध कारावास को आदेश दिया गया है, प्रतिभूति दाखिल कर देता तो उसे तुरन्त रिहा कर दिया जाएगा।
- धारा–107 के अधीन परिशांति कायम रखने के लिए तथा धारा–108 के अधीन सदाचार के लिए प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावास सदैव सादा (सश्रम नहीं) होगा, किन्तु जहॉ कार्यवाही धारा–109 या धारा–110 के अधीन की गयी है, वहॉ कारावास प्रत्येक मामले में सम्बन्धित मजिस्ट्रेट या न्यायालय के स्वविवेकानुसार सादा या कठोर होगा। (यद्यपि कठोर कारावास का आदेश देना मजिस्ट्रेट के स्वविवेक पर निर्भर है, किन्तु उसे अपने आदेश में कारण देने चाहिए कि वह कठोर कारावास का आदेश क्यों कर रहा है)

10–धारा–123–(प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति) के विषय में प्रावधान एवं दिशा–निर्देश–

इसके अन्तर्गत धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया है कि वह प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावासित व्यक्ति को उन्मोचित किये जाने या प्रतिभूति की रकम/प्रतिभुओं की संख्या /अवधि को, जिसके लिए प्रतिभूति की अपेक्षा की गयी है, कम किये जाने हेतु आदेश दे सकता है।

यह पूर्णतः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट के स्वविवेक पर है कि वह किन परिस्थितियों में इस धारा के अधीन कार्यवाही करे।

11–धारा–124 (बन्धपत्र की शेष अवधि के लिए बन्धपत्र) के विषय में प्रावधान एवं दिशा–निर्देश–

(1) जब वह व्यक्ति, जिसकी हाजिरी के लिए धारा 121 की उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन या धारा 123 की उपधारा (10) के अधीन समन या वारण्ट जारी किया गया है, मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया लाता है तब वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित बन्धपत्र को रद्द कर देगा और उस व्यक्ति को ऐसे बन्धपत्र की अवधि के शेष भाग के लिए उसी भॉति की, जैसी मूल प्रतिभूति थी, नई प्रतिभूति देने के आदेश देगा।

(2) ऐसा प्रत्येक आदेश धारा–120 से धारा–123 तक की धाराओं के (जिसके अन्तर्गत ये दोनों धाराऍ भी हैं।) प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, धारा–106 या धारा–117 के अधीन दिया गया आदेश समझा जाएगा।

12– भारत के संविधान के अनुच्छेद–21 का उल्लंघन करते हुये किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत किये जाने के लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही एवं पीडित व्यक्ति को मुआवजे के भुगतान के संबंध में दिशा–निर्देश–

(1) भारत के संविधान के **अनुच्छेद–21 का उल्लंघन करते हुये किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत किये जाने के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जांच में दोषी पाये जाने पर उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999, दि आल इंडिया सर्विसेज (डिसिप्लीन एंड अपील) रूल्स, 1969 एवं उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में संगत नियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।**

(2) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अपनी **जांच रिपोर्ट 03 माह में अथवा संगत नियमावली में यथा उल्लिखित समयानुसार प्रस्तुत की जायेगी।**

(3) **यदि किसी नागरिक की अवैध रूप से हिरासत प्रमाणित पायी जाती है तो पीड़ित व्यक्ति को रू0–25,000/ की धनराशि का भुगतान मुआवजे के रूप में किया जायेगा।**

इस सम्बन्ध में समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उसके अधीनस्थ समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स तथा विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स से यह अपेक्षा की जाती है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता में उन्हें प्रदत्त की गयी शक्तियॉ, उनके क्षेत्राधिकार में शांति व्यवस्था एवं लोक प्रशांति बनाये रखने के लिए है। अतः इनका पालन सदैव गुण–दोष के आधार पर युक्तियुक्त न्यायिक

मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए, विधि एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाए, ताकि आमजन को संविधान से प्राप्त मौलिक अधिकार संरक्षित रहें।

कृपया उक्त दिशा–निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चत किया जाए।

ह0अपठनीय

(अवनीश कुमार अवस्थी)

अपर मुख्य सचिव।

18. In the case of **Lucknow Development Authority Vs. M.K. Gupta (1994) 1 SCC 243** (Paras 8, 10, 11 and 12 Hon'ble Supreme Court observed that under our Constitution Sovereignty vest in the people. Every limb of the constitutional machinery is obliged to be people oriented. No functionary in exercise of statutory power can claim immunity, except to the extent protected by the statute itself. Public authorities acting in violation of constitutional or statutory provisions oppressively are accountable for their behaviour before authorities created under the statute like the commission or the courts entrusted with responsibility of maintaining the rule of law.

19. An ordinary citizen or a common man is hardly equipped to match the might of the State or its instrumentalities. The servants of the government are also the servants of the people and the use of their power must always be subordinate to their duty of service. A public functionary if he acts maliciously or oppressively and the exercise of power results in harassment and agony then it is not an exercise of power but its abuse. No law provides protection against it. He who is responsible for it must suffer it. But when it arises due to arbitrary or capricious behaviour then it loses its individual character and assumes social significance. Harassment of a common man by public authorities is socially abhorring and legally impermissible. It may harm him personally but the injury to society is far more grievous. Nothing is more damaging than the feeling of

helplessness. An ordinary citizen instead of complaining and fighting succumbs to the pressure of undesirable functioning in offices instead of standing against it. Therefore, the award of compensation for harassment by public authorities not only compensates the individual, satisfies him personally but helps in curing social evil.

20. In a modern society no authority can arrogate to itself the power to act in a manner which is arbitrary. It is unfortunate that matters which require immediate attention linger on and the man in the street is made to run from one end to other with no result. Even in ordinary matters a common man who has neither the political backing nor the financial strength to match the inaction in public oriented departments gets frustrated which erodes the credibility in the system. Where it is found that exercise of discretion was *mala fide* and the complainant is entitled to compensation for mental and physical harassment then the officer can no more claim to be under protective cover. The test of permissive form of grant is over. It is now imperative and implicit in the exercise of power that it should be for the sake of society. It is the tax payers' money which is paid for inaction of those who are entrusted under the Act to discharge their duties in accordance with law.

21. Once it is found by the competent authority that a complainant is entitled for compensation for inaction of those who are entrusted under the Act to discharge their duties in accordance with law, then payment of the amount may be made to the complainant from the public fund immediately but it may be recovered from those who are found responsible for such unparadonable behaviour. This legal position is reflected from the law laid down by the Apex Court in **Lucknow Development Authority's case (supra)**. In the said case it was further observed by the Apex Court that the Administrative law of accountability of public authorities or their arbitrary and even *ultra vires*

actions has taken many strides and it is now accepted both by this Court and English Courts that State is liable to compensate for loss or injury suffered by a citizen due to arbitrary action of its employees.

22. The legal principles as enumerated in foregoing paragraphs Nos. **18, 19, 20 & 21** also finds support of the law laid down by Hon'ble Courts in the case of **Lucknow Development Authority (supra); Jay Laxmi Salt Works (P) Ltd. Vs. State of Gujarat (1994) 4 SCC 1; N. Nagendra Rao & Co. Vs. State of A.P. (1994) 6 SCC 205; State of Maharashtra and others Vs. Kanchanmala Vijaysing Shirke and others (1995) 5 SCC 659; Chief Conservator of Forests and another (1996) 2 SCC 293; S.P. Goel vs Collector Of Stamps, Delhi (1996) 1 SCC 573; Common Cause A. Registered Society Vs. Union of India JT 1999 (5) SC 237: AIR 1999 SC 2979; Shiv Sagar Tiwari Vs. Union of India and others (1996) 6 SCC 558; Chairman, Railway Board and others Vs. Chandrima Das (Mrs.) and others (2000) 2 SCC 465; State of A.P. Vs. Challa Ramkrishna Reddy and others (2000) 5 SCC 712; Research Foundation for Science (10) Vs. Union of India (2005) 13 SCC 659; M.C. Mehta Vs. Union of India and Others (2006) 3 SCC 399; Union of India Vs. Prabhakaran Vijaya Kumar and others (2008) 9 SCC 527; Action Committee, Unaided Private Schools and others Vs. Director of Education, Delhi and others (2009) 10 SCC; Delhi Jal Board Vs. National Campaign for Dignity and Rights of Sewerage and Allied Workers and others (2011) 8 SCC 568; Municipal Corporation of Delhi, Delhi Vs. Uphaar Tragedy Victims Association and others (2011) 14 SCC 481.**

Action by the State Government

23. We record our appreciation for the State Government to take the aforequoted policy decision dated 23.03.2021 for payment of compensation of Rs.25,000/- for illegal detention of any citizen by any Officer of the State Government and initiation of disciplinary proceedings against such officer. Since the State Government itself has taken a policy decision and has paid compensation to the petitioners herein, therefore, no further direction for payment of compensation is required to be issued in the present writ petition.

24. In view of the aforesaid, this writ petition is **disposed** of with the following directions :-

(i) The State Government shall ensure that the provisions of the Cr.P.C. as referred in the policy decision dated 23.03.2021 are strictly followed/observed by all the concerned officers.

(ii) The State Government shall further ensure that paragraph 12 of the policy decision dated 23.03.2021 is strictly implemented, which at the cost of repetition is reproduced below:

(1) भारत के **संविधान के अनुच्छेद–21 का उल्लंघन करते हुये किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत किये जाने के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जांच में दोषी पाये जाने पर उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध** उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999, दि आल इंडिया सर्विसेज (डिसिप्लीन एंड अपील) रूल्स, 1969 एवं उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) **में संगत नियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।**

(2) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अपनी **जांच रिपोर्ट 03 माह में अथवा संगत नियमावली में यथा उल्लिखित समयानुसार प्रस्तुत की जायेगी।**

(3) **यदि किसी नागरिक की अवैध रूप से हिरासत प्रमाणित पायी जाती है तो पीड़ित व्यक्ति को रू0–25,000/ की धनराशि का भुगतान मुआवजे के रूप में किया जायेगा।**

(iii) The State Government shall publish Para 12 of its Policy decision dated 23.03.2021 in all largely circulated National Level Newspaper having circulation in the State of Uttar Pradesh and shall also display it on display board at prominent places within public view, in all blocks, Tehsil Headquarters, Police Stations and in campus of District Collectorate in the whole of the State of Uttar Pradesh.

(iv) Copy of this order shall be sent by the State Government to all District level and Tehsil level Bar Associations in the whole of the State of Uttar Pradesh.

25. Let a copy of this order be sent by the Registrar General of this Court to the Chief Secretary of the State of Uttar Pradesh and the Additional Chief Secretary, Home, for strict compliance.

Order Date :- 11.06.2021/vkg